कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./2019–20 दिनांकः 05.12.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय) **स्मरण पत्र**
अतिआवश्यक

विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उतीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर के रूप में प्रोत्साहन योजना
प्रसंगः इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस. टी.डी. आर./2018–19 दिनांकः–26.08.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में लेख है कि राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा–8 उर्त्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उतीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीप्ट–एस.टी.डी.आर) संचालित की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर. /2018–19 दिनांकः–26.08.2019 के द्वारा इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव दिनांक **30.09.2019** तक मांगे थे। लेकिन आज तक जिलो से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। जबकि प्रत्येक जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हो रहे है। जिलो से दिनांक **10.12.2019** तक इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु प्रस्ताव **प्रपत्र–1,2,3** में भिजवावें। अतिंम तिथि के पश्चात इस योजना में पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित रही तो आप स्वयं जिमेदार होंगे।
संलग्नः–पूर्व पत्र दिनांक 26.08.2019 की प्रति

प्रभारी अधिकारी(छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–1)/(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को भेजकर लेख है कि सतत प्रबोधन करते हुए अपने अधीनस्थ जिलों के प्रस्ताव दिनांक **10.12.2019** तक इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उक्त सुचना भिजवाने हेतु तत्काल पाबन्द करें। एवं सुचना नही भिजवाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करे।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाहिट पर अपलोड करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी(छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

...

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./2018–19 दिनांक 26.8.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उतीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर के रूप में प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार के पत्रांक प.1(14) शिक्षा–1/2008 दिनांक 20.10.2008 के अनुसार राज्य में करस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा–8 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उतीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट–एस.टी.डी.आर) योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण कर सत्र 2019–20 राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/–रूपये की एस.टी.डी.आर पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। तथा कक्षा 12 में न्यूनतम 50प्रतिशत अंक प्राप्त कर सत्र 2019–20 किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा को 4000/–रूपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरित हो जायेगी। इसकी पात्रता एंव शर्ते निम्नानुसार हैः

पात्रता

1.शैक्षिक सत्र 2017–18 में किसी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उतीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2018–19 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 10 उतीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2019–20 में किसी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 मे नियमितं अध्ययनरत हो।

2.शैक्षिक सत्र 2018–19 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 12 उतीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2019–20 में किसी राजकीय/गैर राजकीय महाविधालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।

सामान्य शर्ते

1. छात्रा को किसी कारण से स्नातक करने से पूर्व मध्य में पढाई अवरूद्व हो जाने की स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से 3 वर्ष तक अधिक अवधि में भी स्नातक परीक्षा उतीर्ण कर लेने पर एस.टी.डी.आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उतीर्ण नहीं कर पाती है तो एस.टी.डी.आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठयक्रम यथा अकादमिक/व्यावसायिक,राजकीय/ गैर राजकीय, सभी महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर योजना का लाभ देय होगा।
2. छात्रा द्वारा एस.टी.डी.आर. का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में नवीनीकरण करने के लिए इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) को प्रस्तुत करना होगा।
3. छात्रा की एस.टी.डी.आर. उसके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) द्वारा बनवायी जायेगी तथा इसके लिए वहा कभी भी उपस्थित होने पर छात्रा को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4. छात्रा को एस.टी.डी.आर. बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ एक फोटो लिफाफे में डालकर संलग्न करनी होगी।
5. छात्रा को एस.टी.डी.आर. स्वयं और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–मुख्यालय) के संयुक्त नामों से बनवाकर सुपुर्द की जायेगी।
6. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–मुख्यालय) के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही एस.टी.डी.आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।

...

7. छात्रा को पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–मुख्यालय) में जमा करवाना होगा।
8. छात्राओं को एस.टी.डी.आर. एस. बी आई बैंक की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग की शर्तो के अनुसार ही बनवाई जा कर दी जावेगी।
9. समस्त छात्राओं को विवरण **प्रपत्र–1** में एस.टी.डी.आर. बनवाते समय बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय रजिस्टर में **प्रपत्र–2** के अनुसार सूचनाएं संकलित करे।
11. समस्त छात्राओं को मूल एस.टी.डी.आर. का वितरण कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में समस्त छात्राओं के सम्मुख किया जाना अपेक्षित है।
12. अभिलेख समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ मूल एस.टी.डी.आर. की फोटो प्रति संलग्न करें।
13. प्रति वर्ष समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र एक साथ नत्थी कर सुरक्षित रखें तथा बाईडिगं करवा ले।
14. समस्त कार्यवाही इस प्रकार से करें जहा तक हो सके कि छात्राओं को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पडे।
15. इस योजना की पंजिका पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में स्थाई पंजिका 2016–17 से 2019–20 तक अंकित करें तथा आगामी सत्रों के लिए समस्त प्रसारित निर्देशों की फोटो प्रतियां नत्थी कर नई पंजिका प्रारम्भ करें। ध्यान रहे इस सत्र में जारी समस्त निर्देश आगामी सत्रों में भी लागू रहे
16. इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव **प्रपत्र–3** में दिनांक **<u>30.09.2019</u>** तक आश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

इस योजना को समस्त संस्था प्रधानों को प्रसारित करते हुए स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों एंव अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

संलग्न :– आवेदन पत्र एवं प्रपत्र–1,2,3

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–
1.शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–1)/(ग्रुप–6) विभाग रालस्थान सरकार जयपुर।
2.सयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि सतत प्रबोधन करते हुए अपने अधीनस्थ जिलों के प्रस्ताव दिनांक 30.09,2019 तक इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3..अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाहिट पर अपलोड करने बाबत।

26/8/19

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र–1

क.सं.	छात्रा का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	स्थाई निवास का पता

प्रपत्र–2

कं. सं.	छात्रा का नाम	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	जाति वर्ग	कक्षा 8 में प्राप्तांक प्रतिशत /ग्रेड	कक्षा 10 में अध्ययनरत राजकीय विधालय का नाम	कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा 11 में अध्ययनरत राजकीय विधालय का नाम	कक्षा 12 में अध्ययनरत राजकीय विधालय का नाम	प्रथम वर्ष में अध्ययनरत महाविधालय का नाम	स्थाई निवास का पता	5 वर्ष की अवधि की एस.टी.डी.आर. की राशि नम्बर व दिनांक	3 वर्ष की अवधि की एस.टी.डी. आर. की राशि नम्बर व दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.	14.	15.	16.

प्रपत्र–3

क.सं.	जिले का नाम	कक्षा 11 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 2000/–रूपये की दर से कुल मांग	स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 4000/–रूपये की दर से कुल मांग	कुल मांग (कॉलम सं. 4 + 6 योग)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.